



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262202 (अकादमिक) 077-2263330 (कूलसचिव), फ़ैक्स-0771-2262818, 2262607

क्रमांक 411/अका./सम्बद्धता/2021

रायपुर, दिनांक : 22/11/2021


॥ आदेश ॥

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 07.10.2021 की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 12.10.2021 के अनुमोदनानुसार, रामचण्डी महाविद्यालय, सरायपाली, जिला-महासमुंद (छ.ग.) को निम्नानुसार दर्शित कक्षा/विषय के लिये सत्र 2020-21 से अस्थायी सम्बद्धता सशर्त प्रदान की जाती है:-

क्र.	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
1	बी.एस.सी. बायो. अंतिम वर्ष	40	2020-21
2	बी.एस.सी. गणित अंतिम वर्ष	40	
3	एम.ए.हिन्दी अंतिम वर्ष (तृतीय/चतुर्थ सेमेस्टर)	20	
4	एम.कॉम.अंतिम वर्ष (तृतीय/चतुर्थ सेमेस्टर)	40	

शर्त :-

- 01 महाविद्यालय को कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 2456/61/आउशि/अ. शै.प्र./2020 दिनांक 27.10.2020 के द्वारा उपरोक्त पाठ्यक्रमों की सशर्त अनुमति प्रदान की गई है। शासन के द्वारा उपरोक्त आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, पाठ्यक्रम की संबद्धता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- 02 प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका के सिद्धांत एवं विश्वविद्यालय के अध्यादेशों का नियमानुसार पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
- 03 प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाये।
- 04 शिक्षकों/कर्मचारियों को नियमानुसार पूर्ण वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से की जावे।
- 05 इण्डोमेंट फण्ड की राशि कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर एवं संस्था प्रमुख के संयुक्त नाम पर सावधि खाते में जमा कर, एफ.डी.आर. की मूलप्रति विश्वविद्यालय में जमा करेंगे।
- 06 समय-समय पर विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
- 07 निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई है।
- 08 जाँच प्रतिवेदन के भाग 'ब' में दर्शित कमियों (प्रति संलग्न) की पूर्ति व परिनियम 28 के तहत न्यूनतम/आवश्यक शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति आदेश निर्गमन की तिथि से तीन माह में नियुक्त/पूर्ण कर, विश्वविद्यालय को सूचित करें।
- 09 शासन द्वारा जारी पत्र की सभी शर्तों के पालन 03 माह के अंदर पूर्ण कर, विश्वविद्यालय को सूचित करें।
- 10 परिनियम-27 एवं 28 का पालन करें।
उक्त शर्तों की पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही उपर्युक्त विषयों की सम्बद्धता आगामी सत्र से वापस ले ली जाएगी।

आदेशानुसार,

उप कुलसचिव (अका.)

रायपुर, दिनांक 22/11/2021

पृ. क्रमांक 411/अका./सम्बद्धता/2021

प्रतिलिपि :-

- 01 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी, द्वितीय/तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)
- 02 संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
- 03 संबंधित महाविद्यालय के संचालक/प्राचार्य को।
- 04 संचालक, शारीरिक शिक्षा/विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययन शाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।

भाग "अ" में दी गई जानकारी के सत्यापन के बाद निरीक्षण समिति द्वारा भरा जाए ।
प्रस्तावित पाठ्यक्रम के संचालन के लिए निरीक्षण समिति का बिन्दुवार प्रतिवेदन ।

(प्रतिवेदन में अनुशंसा न की जाए अपितु पात्रता/अपात्रता का स्पष्ट उल्लेख किया जाए । कमियों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए, जिन्हें संबद्धता के लिये शर्त के रूप में मान्य किया जा सके ।

निरीक्षण आदेश क्रमांक - 2353/अका/2021
निरीक्षण की तिथि - 29.9.2021

31-7-2021

प्रस्तावित पाठ्यक्रम का विवरण जिसके लिये सम्बद्धता चाही गई है -

कक्षा	विषय	अपेक्षित सीट	सत्र	वर्तमान सत्र में प्रवेश की स्थिति
B.Sc - III	Bio,	40	20-21	40
	Bio/Maths	40	20-21	12
MA HINDI FINAL	HINDI	20	20-21	09
M.Com Final	COMMERCE	40	20-21	09

क्रं.	विवरण	भाग "अ" में बिन्दु क्रमांक	पात्रता / कमियों का विवरण
1	समिति / संस्था के पंजीयन की वैधता	1 (ii)	Registered
2	समिति के नाम अविवादित स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि	1 (iv)	रामचण्डी शिक्षण संस्था सरायपाली, 2.13 हेक्टेयर
3.	इंडोमेंट फण्ड में जमा की गई राशि	1 (v)	Rs. 3500048=00
4.	शासी निकाय के अध्यक्ष / सचिव के कार्यकाल की अंतिम वैधता तिथि	2 (iii) 2 (v)	निर्वाचन की तिथि 26.8.2021 वैधता: 5.8.2024 वैधता 5.8.2024
5.	महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है अथवा नहीं ?	3 (xii)	स्वयं के भवन में संचालित है।
6	महाविद्यालय भवन में मानदंड के अनुरूप कक्षाओं की उपलब्धता	3 (xiv)	Pl. refer to page NO: 23 Class Rooms etc
7.	यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम में प्रायोगिक विषय शामिल हो तो प्रयोगशाला हेतु कक्षाओं की उपलब्धता	3 (xvi)	रसायन प्रयोगशाला - 1 भौतिकी प्रयोगशाला - 1 BOTANY LAB - 1 ZOOLOGY LAB - 1
8.-	प्रयोगशाला हेतु उपकरणों उपलब्धता	3 (xvi)	लेब्स उपकरण उपलब्ध है।
9.	प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिये विषयवार शिक्षकों की पर्याप्तता / आवश्यकता	5 (viii)	वर्तमान में धारा-28 के तहत शिक्षकों की पर्याप्तता नहीं है। विज्ञापन जारी है।

धारा 28 में धिन्नी : 02
वाणिज्य : 02

संवेदन में : सरायपाली
विज्ञान : 5
धिन्नी : 02
वाणिज्य :
धिन्नी : 02

क्र.	विवरण	भाग "अ" में बिन्दु क्रमांक	पात्रता / कमियों का विवरण
10	ग्रंथपाल एवं ग्रंथालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों की उपलब्धता/आवश्यकता	7 (i) 7 (vi)	धारा-28 ग्रंथपाल में ग्रंथपाल है। BSc = 140 MA F.H. = 300 M-Cem = 105
11	महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधायें	9	Infrastructure अच्छा है।
12	यदि द्वितीय / तृतीय वर्ष की कक्षाओं की सम्बद्धता निरीक्षण हो तो पूर्व में निरीक्षण समिति द्वारा बताई गई कमियों एवं दिए गए सुझावों कि क्या शर्तें पूर्ण कर ली गई है ?		विज्ञान सेक्टर में तथा अन्य सेक्टर में परिनियम 28 के तहत जैविक एवं शैक्षणिक पर्यटन है। यंत्र समिति का गठन हो चुका है। प्रक्रियाधीन है।
13	अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य जो निरीक्षण समिति उल्लेखित करना चाहे		1. महिला छात्रावास निर्माणाधीन है 2. INFRASTRUCTURE अच्छा है 3. खेल मंडल की सुव्यवस्था है। 4. सभागार है।
14.	कृपया उन कमियों का स्पष्ट उल्लेख करें जिन्हें संबद्धता प्रदान किये जाने की स्थिति में शर्तें के रूप में मान्य किया जा सकें।		1. विज्ञान विभाग में सेविदा शैक्षिक ड्राग कार्गो बिना था रहा है। धारा 28 तहत जैविक पर्यटन पर्याप्त मात्रा में था। 2. वास्तविक तंत्र द्वितीय विभाग में धारा 28 (2) के तहत है। 3. सभी प्रयोगशाला में उपकरणों तथा Chemicals आदि की शोरे आवश्यकता है। 4. विज्ञान सेक्टर में परिनियम 28 के तहत जैविक पर्यटन पर्याप्त मात्रा में था। 5. वास्तविक तंत्र द्वितीय विभाग में धारा 28 (2) के तहत है।

निरीक्षण समिति के संयोजक का नाम एवं हस्ताक्षर

PROF. KALLOL K. SHARMA

29.9.2021

निरीक्षण समिति के सदस्यों के नाम एवं हस्ताक्षर

1. K. SHARMA

2. K. K. Sharma

3. N.K. Chakraborty

4. राजेश-30-21

5. Rishi

29.09.21

6. विज्ञान सेक्टर में परिनियम 28 के तहत जैविक पर्यटन पर्याप्त मात्रा में था।

7. वास्तविक तंत्र द्वितीय विभाग में धारा 28 (2) के तहत है।

8. सभी प्रयोगशाला में उपकरणों तथा Chemicals आदि की शोरे आवश्यकता है।

9. विज्ञान सेक्टर में परिनियम 28 के तहत जैविक पर्यटन पर्याप्त मात्रा में था।

दिनांक - 29.9.2021

प्रति

कुलसचिव
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर (छ0ग0)